परिपत्र संख्या-स्था-1/ई0आई0एस0/2014-2015/1415049/ 153 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ ::: दिनॉक 18, जुलाई, 2014.

समस्त एडिशनल कमिश्नर,ग्रेड-1,वाणिज्य कर,
समस्त एडिशनल कमिश्नरग्रेड-2,वाणिज्य कर
समस्त जॉइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर

वाणिज्य कर विभाग के समस्त अधिकारियों का सेवा सम्बन्धी विवरण Employee Information System में अंकित रहता है । Employee Information System में अंकित विवरण का अद्यावधिक रहना आवश्यक है, जिससे किसी अधिकारी की सेवा सम्बन्धी प्रकरणों में अनावधिक सूचना के कारण किसी प्रतिकूल स्थिति का सामना न करना पड़े । इसके लिए स्थानांतरण के पश्चात् वर्तमान कार्यालय से अवमुक्ति तथा नए कार्यालय में ज्वाइन करने का विवरण सम्बंधित अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा। ऑनलाइन जॉइनिंग तथा अवमुक्ति का विवरण अंकित करने की प्रक्रिया निम्नवत होगी --

1-किसी भी स्थानांतरण आदेश/अतिरिक्त क्षेत्राधिकार से सम्बंधित अथवा पदोन्नति के आदेश से सम्बंधित आदेश की संख्या एवं दिनांक मुख्यालय के स्थापना राजपत्रित अनुभाग द्वारा सम्बंधित अधिकारियों के समक्ष अंकित की जाएगी।

2- विभागीय अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम विभागीय वेबसाइट http://comtax .up.nic.in पर जाकर Employee Information System पर क्लिक किया जाएगा।

3- अधिकारी द्वारा अपने छः डिजिट के Employee Code का प्रयोग यूजर आईडी के रूप में किया जाएगा तथा पासवर्ड के रूप में जन्मतिथि (dd/mm/yyyy) अंकित की जाएगी।

4- लॉग इन करने के पश्चात साइड मेनू में उपलब्ध Submit Relieving Details पर क्लिक किया जाएगा।

5. लिंक पर क्लिक करने पर उपलब्ध स्क्रीन में ट्रांसफर आर्डर नंबर तथा दिनांक स्वतः ही अंकित होगा।अधिकारी को जिस कार्यालय से अवमुक्त होना है उससे सम्बंधित जोन,जिले तथा कार्यालय का चयन करते हुए अवमुक्त होने का दिनांक अंकित कर विवरण को SUBMIT किया जाएगा।

6- नए कार्यालय में ज्वाइन करने के लिए लॉग इन करने के पश्चात साइड मेनू में उपलब्ध Submit Joining Details पर क्लिक किया जाएगा।

7- लिंक पर क्लिक करने पर उपलब्ध स्क्रीन में ट्रांसफर आर्डर नंबर तथा दिनांक स्वतः ही अंकित होगा । अधिकारी को जिस कार्यालय में ज्वाइन करना है उससे सम्बंधित जोन,जिले तथा कार्यालय का चयन करते हुए ज्वाइन करने का दिनांक अंकित कर विवरण को SUBMIT किया जाएगा।

8-इस प्रकार सभी कार्यालयों की सूचना स्थापना राजपत्रित अनुभाग के अधिकारियों के लॉग इन पर उपलब्ध हो जायेगा स्थापना राजपत्रित अनुभाग के अधिकारियों द्वारा समस्त सूचनाओं के सत्यापन के पश्चात VERIFY करने पर पोस्टिंग से सम्बंधित विवरण अपडेट हो जाएगा।

उपर्युक्तानुसार ऑनलाइन अवमुक्ति तथा नए कार्यालय में ज्वाइन करने का विवरण अंकित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा विभागीय M.I.S रिपोर्ट तथा व्यास सेंट्रल सॉफ्टवेयर से सम्बंधित यूजर आई डी तथा पासवर्ड लोकल एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा जेनरेट नहीं किया जा सकेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

17.7.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश

पृष्ठॉकन पत्र संख्या व दिनॉक ::: उक्त।

प्रतिलिपि- डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करेगें।

17.7.14

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।